राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 765वी बैठक दिनांक 10.01.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 765वी बैठक दिनांक 06.01.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1 श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

2 श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A	SEAC द्वारा अनुशंसित				
1	9432/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
2	9239/2022	1(a)	लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
3	9466/2022	1(a)	मार्बल खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4	9475/2022	1(a)	मार्बल खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
5	9476/2022	1(a)	रेत खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
6	9486/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
7	9478/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8	9468/2022	1(a)	पत्थर, एम सेण्ड एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9	9473/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
10	9467/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
11	9464/2022	1(a)	क्वार्टजाईट एवं डोलोमाईट खदान	पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	Closed
12	9469/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
13	9491/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14	9463/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
15	9470/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
16	9472/2022	1(a)	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17	9270/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	Delisted
B-	अतिरिक्त एजेण्डा				
18	9419/2022	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
19	9445/2022	1(a)	पत्थर खदान	ToR हेतु पुर्नविचार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

					अग्रेषित
20	7947/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु पुर्नविचार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21	9442/2022	1(a)	लेटेराईट एवं ऑकर खदान	ToR हेतु पुर्नविचार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
22	9446/2022	1(a)	ऑकर खदान	ToR हेतु पुर्नविचार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
23	9448/2022	1(a)	पत्थर खदान	ToR हेतु पुर्नविचार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
24	8777/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु पुर्नविचार	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
C. नीतिगत निर्णय					

1. प्रकरण क्र 9432/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री शब्बीर पाकावाला आत्मज नजमुद्दीन, निवासी 16, रामबाग, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 3007 से 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 273/17, ग्राम रामपुरिया, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:–

"..........परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज को देखने पर भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के प्रमाण नहीं पाये गये । उपरोक्त परिदृश्य में समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट शर्तो का पालन न कर क्षमता विस्तार हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर रहे है, अतः समिति ने चर्चाकर निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक पहले अभी तक पर्यावरणीय संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी (पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्तो के अनुसार) मय फोटोग्राफ एवं दस्तावेजों के साथ एवं खदान की खसरा मेप एवं अनुमोदित खनन् योजनानुसार आकृति एवं स्थिति की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें, उसके पश्चात् टॉर हेतु विचार किया जाये एवं तब तक प्रकरण नस्तीबद्ध करने हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 612वी बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाये तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र 9239/2022 परियोजना** परियोजना संचालक, मेसर्स प्रांजल एग्रोटेक प्रा. लि., श्री सुभाष चन्द्र बंसल, निवासी एम.आई जी. – II, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन 11148 टन प्रतिवर्ष एवं डोलोमाईट 60102 टन प्रतिवर्ष, रकबा 2.109 हेक्टेयर, खसरा 22, 31 ग्राम सेझा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी **(म.प्र.)** की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना *प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 04 पेड़ लगे है, जिसमें से 01 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। .....*

अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अनुशंसित 10 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा एवं प्रस्तावित खदान में पूर्व में किये गये उत्खनन की वर्षवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

3. प्रकरण क्र 9466/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हीरा मार्बल, ब्रम्हपुरी मोहल्ला, ओल्ड सिटी, किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) द्वारा मार्बल खदान, उत्पादन क्षमता 4000 एवं सेलेबल वेस्ट 16000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 539/5, 539/6, 580/2, 565, ग्राम पपरेडी, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र के बिंदु क्र. 01 में उल्लेखित सोन घड़ियाल अभ्यारण्य 3.3 कि.मी. एवं आर.एफ. 26 से 10 कि.मी. की परिधि में जैव विविधता क्षेत्र है, के संबंध में क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व से प्रस्तावित खदान सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के ईको सेंसेटिव जोन से कितनी दूरी पर है की अभिमप्रामणित जानकारी ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।**

II. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टीध्धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान में 7.5 मीटर का बफर जोन छोड़ने की जानकारी ईआईए रिपोर्ट में नक्शे सहित प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

4. प्रकरण क्र 9475/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हीरा मार्बल, ब्रम्हपुरी मोहल्ला, ओल्ड सिटी, किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) द्वारा मार्बल खदान, उत्पादन क्षमता 4000 एवं सेलेबल वेस्ट 16000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 537/2, 539/2, 539/3, 539/4, ग्राम पपरेडी, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र के बिंदु क्र. 01 में उल्लेखित सोन घड़ियाल अभ्यारण्य 3.3 कि.मी. एवं आर.एफ. 26 से 10 कि.मी. की परिधि में जैव विविधता क्षेत्र है, के संबंध में क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व से प्रस्तावित खदान सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के ईको सेंसेटिव जोन से कितनी दूरी पर है की अभिमप्रामणित जानकारी ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।**

II. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान में 7.5 मीटर का बफर जोन छोड़ने की जानकारी ईआईए रिपोर्ट में नक्शे सहित प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र 9476/2022 परियोजना** परियोजना मेसर्स शर्मा एसोसियेट, प्रोपराईटर, श्री दिनेश सेन, निवासी देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 30,000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.0 हेक्टेयर, खसरा 558, ग्राम कुड़ाकला, तहसील शाहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

III. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

VI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जायेगा की अद्यतन जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में सम्मलित करें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा का विवरण ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र 9486/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री मनीष शर्मा आत्मज श्री रामसेवक शर्मा, निवासी 46, शांति विहार, दर्पण कॉलोनी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता 32340 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.575 हेक्टेयर, खसरा 23, 24, ग्राम गंगापुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र 9478/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन कुमार सरावगी आत्मज श्री ओमप्रकाश जैन, निवासी 1680, सिविल लाईन, झांसी, जिला झांसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 100000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.752 हेक्टेयर, खसरा 659/घ (भाग), ग्राम देवरी बमनउ, तहसील निवाडी, जिला निवाडी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	(अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य**	(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र 9468/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जी.एच.वी. (इंडिया) प्रा.लि., ए.एम.एल. सेंटर 01, महल इंडस्ट्रियल एरिया, महाकाली केवस रोड़, अंधेरी (ईस्ट) मुबंई द्वारा पत्थर, एम सेण्ड एवं मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 75000, एम सेण्ड 10000 एवं मुरूम 10000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2. 50 हेक्टेयर, खसरा 2640, ग्राम पानबिहार, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

I. **उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 200 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिरसू ,पीपल, बरगद, करंज आदि।	450
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, सप्तपर्णी, जंगल जलेबी, नीम, सिरसू, कदम आदि।	350
3	ग्राम पानबिहार के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	50
4.	ग्राम पानबिहार के शासकीय माध्यमिक शाला के मैदान में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि।	150
5.	ग्राम पानबिहार एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	2000
		कुल	3000

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पानबिहार में स्थित तालाब के पास घाट निर्माण का कार्य किया जाये एवं बेंचेस लगवाई जाये।
- ग्राम पानबिहार में पंचायत के परामर्श से ग्रामवासियों के लिए पानी की उपलब्धता हेतु हैंडपंप लगवाया जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जी.एच.वी. (इंडिया) प्रा.लि., ए.एम.एल. सेंटर 01, महल इंडस्ट्रियल एरिया, महाकाली केवस रोड़, अंधेरी (ईस्ट) मुबंई द्वारा पत्थर, एम सेण्ड एवं मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 75000, एम सेण्ड 10000 एवं मुरूम 10000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 2640, ग्राम पानबिहार, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन का पत्र क्र. 1861 दिनांक 19.10.2022 एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला इंदौर के पत्र क्र. पी 798 दिनांक 07.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को डेट ऑफ एपॉइंटमेंट दिनांक 29.09.2022 से 610 दिन की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.05.2024 तक मान्य रहेगी।

9. प्रकरण क्र 9473/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक बंजारा आत्मज श्री शवजी बंजारा, निवासी ग्राम लोंदिया, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 5001 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 573/मिन–3, 573/मिन–5 एवं 108/मिन–1/मिन–2, ग्राम लोंदिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 432 मीटर परिधि तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, करंज, चिरोल आदि।	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 300 मीटर तक (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–सिस्सू, पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम आदि।	200

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3	ग्राम लोंदिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल, करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, मुनगा आदि।	700
		कुल	1250

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- उत्खनिपट्टे के पूर्व में स्थित चीलर डैम पर आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके पूर्ण जानकारी का समावेश कर रिपोर्ट 10 प्रतियों में तैयार करके वन विभाग, जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय, खनिज विभाग, सिया एवं सेक मध्यप्रदेश एवं अन्य विभाग में जमा करी जावेगी ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक बंजारा आत्मज श्री शवजी बंजारा, निवासी ग्राम लोंदिया, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, उत्पादन क्षमता 5001 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 573/मिन–3, 573/मिन–5 एवं 108/मिन–1/मिन–2, ग्राम लोंदिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर का पत्र क्र. 385 दिनांक 15.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.07.2032 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र 9467/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष पाटीदार आत्मज श्री ओमप्रकाश पाटीदार, निवासी गोलवाड़ी, तहसील सेगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 10000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 606 (एस), ग्राम सेगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. **खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	380
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	300
3	ग्राम लौदी बी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल ,आवला करंज, आदि।	60
4.	ग्राम सेगॉव के शासकीय शाला परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि।	100
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, मुनगा, कटहल आदि।	1560
		कुल	2400

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में स्थित चेक डेम के पास घाट का निर्माण एवं बैठने के लिए बेंचेस कि व्यवस्था जाये एवं उसके आस पास वृक्षारोपण करवाकर उनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड लगाए जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष पाटीदार आत्मज श्री ओमप्रकाश पाटीदार, निवासी गोलवाड़ी, तहसील सेगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 10000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 606 (एस), ग्राम सेगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगौन (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 12861–62 दिनांक 22.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.09.2032 तक मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र 9464/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिसोदिया माईनिंग प्रा.लि. निदेशक, श्री ठाकुर विनय बहादुर सिंह, निवासी सत्येन्द्र भवन, भट्टा मोहल्ला, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा क्वार्टजाईट एवं डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता क्वार्टजाईट 15000 एवं डोलोमाईट 500 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 328/5, ग्राम भटगंवा सुनहरा, तहसील मुड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई हैः–

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि किसी कारणवश वह अपना यह प्रकरण वापिस लेना चाहते है तथा इस बावत् अनुरोध पत्र दिनांक 21/12/22 के माध्यम से किया गया है जो प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । समिति ने चर्चाकर निर्णय लिया चूँकि परियोजना प्रस्तावक स्वयं अपना प्रकरण वापिस लेना चाहते है, अतः इस अनुरोध को स्वीकार प्रकरण को सिया की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Close किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. प्रकरण क्र 9469/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्सयूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमान्शु मीना, निवासी– 9ए, पैरामाउन्ट विला नियर अंसल श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 88200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.0 हेक्टेयर, खसरा 385, ग्राम सुल्तानगंज, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ)** की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 88200 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 88200 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 88200 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 90000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 88200 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित उत्पादन क्षमता से अधिक का उत्खनन नहीं किया जायेगा, इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 19.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे ।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट़ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**4500**
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया–इच्छुक ग्रामीणों के खेत) मे	कट़ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ वन विभाग के सुझाव अनुसार	1000
3	ग्राम सुलतानगंज के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
		कुल	**6000**

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम सुल्तानगंज के शासकीय विद्यालय में दो कम्प्युटर, प्रिंटर मय टेबल के साथ प्रदान किये जाये एवं पेयजल हेतु बोरबैल की मरम्मत कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स पार्टनर श्री हिमान्शु मीना, निवासी– 9 ए, पैरामाउन्ट विला नियर अंसल श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 88200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.0 हेक्टेयर, खसरा 385, ग्राम सुल्तानगंज, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन का आदेश क्र. 478 दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 765वी बैठक दिनांक 10.01.2023 का कार्यवाही विवरण

13. प्रकरण क्र 9491/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स व्ही.व्ही.सी यस. आर.एल प्रोजेक्ट प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति श्री बृजकिशोर सिंह, निवासी एबी रोड राघौगढ, जिला गुना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान,(ओपनकास्ट सेमीमैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा 683/1,2,3, ग्राम बरनावद, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत जिला खनिज अधिकारी, सारग के पत्र क्र. 998 दिनांक 25.11.2022 अनुसार म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 4(4) के अंतर्गत उत्खनन पट्टे हेतु न्यूनतम क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है किन्तु म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 के अंतर्गत स्वीकृत खदान अस्थाई अनुज्ञा से संबंधित है, उक्त नियम में न्यूनतम क्षेत्र के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है को एवं SEAC की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **आबादी से 100 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	600
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	400
		कुल	1200

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- शासकीय एकीकृत शाला बरनावद मे 01 कम्प्यूटर मय टेबल, कुर्सी एवं 02 अलमारी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स व्ही.व्ही.सी यस. आर.एल प्रोजेक्ट प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति श्री बृजकिशोर सिंह, निवासी एबी रोड राघौगढ जिला गुना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमीमैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा 683/1,2,3, ग्राम बरनावद, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)। कार्यालय संभागीय प्रबंधक, म.प्र रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि. का आदेश क. 704 दिनांक 29.07.2022 एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा अनुमोदित खनन योजना के पत्र क्र. 3496—98 दिनांक 12.09.2022 अनुसार उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा 02 वर्ष (19.07.2022 से 18.07.2024 तक) सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.07.2024 तक मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र 9463/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पलाश विजयवर्गीय आत्मज श्री नरेन्द्र विजयवर्गीय, निवासी वार्ड न.—13, नका न. 03, जिला राजगढ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमीमैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5002 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 1/1/2, ग्राम रघुनाथगढ, तहसील व, जिला राजगढ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में एक पेड लगा है जिसे काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

15. प्रकरण क्र 9470/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री शतीष गौर श्री हरिशंकर गौर, निवासी ग्राम चौतलाय तहसील सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) द्वारा मरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमीमैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19200 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.90 हेक्टेयर, खसरा 60/2, ग्राम धमसा, तहसील डोलरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 12 पेड लगे है जिसमे से 03 पेड़ काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

16. प्रकरण क्र 9472/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह आत्मज श्री बच्चू सिंह, निवासी ग्राम पुर पोस्ट पिडौरा, तहसील एवं जिला भिण्ड (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट सेमीमैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा 62,68,1626, ग्राम पुर, तहसील व, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

I. **भिण्ड जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार 0.60 हेक्टेयर एरिया में उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा उत्खनन पट्टे के अंदर भट्टी की स्थापना नहीं की जायेगी।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	शीशम, अमलतास, जामुन, करंज, एव अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	200
3	पुर ग्रामवासियों में वितरण हेत	नीबू ,मुनगा, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	960
4.	शासकीय विद्यालय पुर, में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	20
		कुल	1680

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पुर के शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों के बैठने के लिये 08 टेबल–कुर्सी प्रदान की जायें तथा विद्यालय भवन की रंगाई पुताई की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह आत्मज श्री बच्चू सिंह, निवासी ग्राम पुर पोस्ट पिडौरा, तहसील एवं जिला भिण्ड (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट सेमीमैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा 62,68,1626, ग्राम पुर, तहसील व, जिला भिण्ड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड का पत्र क्र. 5527 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.05.2032 तक मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्र 9270/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाश कश्यप आत्मज श्री मोती कश्यप निवासी लिटिल किंगडम स्कूल के न्युरातनगर, आधारतारल जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमीमैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24290 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा 62,68,1626, ग्राम पुर, तहसील व, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार ***"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में लगे 03 पेड़ो काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी एवं जिला जबलपुर की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन उपरांत उसकी प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये तब तक प्रकरण को डिलिस्ट (Delist) किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र 9419/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री देवधर इंगले आत्मज श्री पंजाबराव इंगले, निवासी बारस्कर कॉलोनी, महावीर वार्ड, टिकरी, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व मुरूम 7653 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 49/1/2, 50/6, ग्राम अम्बाड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 765वी बैठक दिनांक 10.01.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में एक पेड लगा है जिसे काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 27.12.2022 के माध्यम से प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन् क्षेत्र में मौजूद एक पेड के काटे जाने के एवज् में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत 10 अतिरिक्त पेड़ लगा कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित की जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद काटे जाने वाले 02 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 20 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, खमेर, नीम, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल आदि।	600
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, पीपल, करंज,	500

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

	ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	सप्तपर्णी, चिरोल, आम,बरगद, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	
3	ग्राम अम्बाडा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	60
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, आम, जामुन, अमरुद, अनार, संतरा, निम्बू, कटहल आदि।	1250
कुल			2410

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- उत्खनिपट्टे के दक्षिण में लगभग 270 मीटर की दूरी पर स्थित मृदा जल संरक्षण संरचना का सौन्दर्यीकरण करवा जावेगा एवं उसके आस पास पौधरोपण कर उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जावेगी

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री देवधर इंगले आत्मज श्री पंजाबराव इंगले, निवासी बारस्कर कॉलोनी, महावीर वार्ड, टिकरी, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व मुरूम 7653 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 49/1/2, 50/6, ग्राम अम्बाड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 12094–95 दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.09.2032 तक मान्य रहेगी।

19. प्रकरण क्र 9445/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्काई लाईट इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर, श्री पवन कुमार तिवारी, निवासी ग्राम हर्रा, तहसील महुगंज, जिला रीवा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 49875 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/क, 42/1, 42/3/क, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2 व 26/1, ग्राम हर्रा, तहसील महुगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व में 120 मीटर पर आबादी, 15 मीटर पर कुछ मकान, उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर पक्की सड़क होना परिलक्षित है माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के पूर्व व दक्षिण दिशा में आबादी, उत्तर दिशा में प्राकृतिक नाला तथा दक्षिण दिशा में पक्की सड़क परिलक्षित है। अतः खनन गतिविधियों के कारण मानव बसाहट व आवागमन मार्ग के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त (Reject) किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.12.2022 के माध्यम से प्रकरण में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया :–

1 प्रकरण में प्रस्तुत माईनिंग प्लान नॉन ब्लास्टिंग का है।

2 पक्की सड़क से 100 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से 50 मीटर छोड़ने के पश्चात् उत्खनन कार्य किया जायेगा।

3 उत्खनन पट्टे के पास में दर्शित मकान परियोजना प्रस्तावक के स्वयं का है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिये गये निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुर्नविचार कर प्रकरण को Re-open किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र 7947/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री नवल सिंह बघेल आत्मज श्री ललीता प्रसाद बघेल, निवासी ग्राम हिवाला, पोस्ट मंडला, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9938 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा 3/1/ख, ग्राम बाम्हनगांव, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व में 200 मीटर, पश्चिम में 70 मीटर एवं दक्षिण में 130 मीटर पर आबादी तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के समीपस्थ पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में मानब बसाहट होने तथा खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर आमजन के आवागमन हेतु कच्ची सड़क परिलक्षित है। अतः खनन गतिविधियों के कारण बसाहट क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है। प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त (Reject) किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.12.2022 के माध्यम से प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने एवं प्रस्तुतीकरण का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक श्री नवल सिंह बघेल अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव के साथ दिनांक 10.01.2022 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध बताया गया कि प्रकरण में प्रस्तुत पुनरीक्षित ईआईए व माईनिंग प्लान नॉन ब्लास्टिंग का है तथा सीपीसीबी मापदण्ड अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् भी 1.60 हेक्टेयर में से 1.00 हेक्टेयर एरिया खनन हेतु उपलब्ध होता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिये गये निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुर्नविचार कर प्रकरण को **Re-open** किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **SEAC** को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र 9442/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स विकास मिनरल्स, निवासी ए–10, लक्ष्मी नारायण स्टेट, रीवा रोड़, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा लेटेराईट व ऑकर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 190000 टन प्रतिवर्ष व ऑकर 7408 टन प्रतिवर्ष, रकबा 11.295 हेक्टेयर, खसरा 90, 88/1क, 88/1ख–2, 88/1/ख–3, 88/1ख–4, 88/2

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

व 90, ग्राम अमरिती, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच से एक पक्की सड़क होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के बीचो–बीच पक्की सड़क होने के कारण न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध होना परिलक्षित है। अतः खनन गतिविधियों के कारण आवागमन पक्की सड़क के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त (Reject) किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्रकरण में **SEIAA** की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिये गये उपरोक्त निर्णय के सबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.12.2022 के माध्यम से प्रकरण में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव द्वारा दिनांक 10.01.2022 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध बताया गया कि प्रकरण लेटेराईट ऑकर का है जिसमें ब्लास्टिंग जैसी गतिविधियां नहीं होती हैं तथा सीपीसीबी मापदण्ड अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच से निकल रही पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् भी 11.295 हेक्टेयर में से 4.085 हेक्टेयर एरिया खनन हेतु उपलब्ध होता एवं उक्त सड़क को खदान के उत्तर दिशा से स्वयं के व्यय पर परिवर्तित करने का भी लेख करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिये गये निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुर्नविचार कर प्रकरण को Re-open किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र 9446/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल खनिज उद्योग, प्रोपराईटर, श्री रामचन्द्र बंसल निवासी वार्ड नं. 08, अग्रवाल धर्मशाला के सामने, जैतवारा, जिला सतना (म.प्र) द्वारा ऑकर खदान

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 83074 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.683 हेक्टेयर, खसरा 04, ग्राम जमुवानी, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पश्चिम में 05 मीटर पर आबादी, उत्तर से दक्षिण में 16 मीटर पर कच्ची सड़क होना परिलक्षित है साथ ही खदान पहाड़ी पर स्थित है जिस पर मुंडा माता का मंदिर स्थित है जिसका पहुंच मार्ग भी पहाडी पर दृष्टिगत हो रहा है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के पश्चिम में आबादी, उत्तर से दक्षित में कच्ची सड़क व खदान क्षेत्र पहाड़ पर मुंडा माता का मंदिर परिलक्षित है। अतः खनन गतिविधियों के कारण मानव बसाहट के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों खदान पहाड़ पर मंदिर को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त (Reject) किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्रकरण में **SEIAA** की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिये गये उपरोक्त निर्णय के सबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.12.2022 के माध्यम से प्रकरण में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव द्वारा दिनांक 10.01.2022 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध बताया गया कि प्रकरण ऑकर का है जिसमें ब्लास्टिंग जैसी गतिविधियां नहीं होती हैं तथा सीपीसीबी मापदण्ड अनुसार आबादी एवं कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् भी 10.683 हेक्टेयर में से 3.077 हेक्टेयर एरिया खनन हेतु उपलब्ध होता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिये गये निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुर्नविचार कर प्रकरण को Re-open किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23. प्रकरण क्र 9448/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती चंचला जोशी पत्नी श्री कमल जोशी, निवासी 39–ए, सांईनाथ कॉलोनी, तहसील बडवानी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9700 प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 139/1, ग्राम करी, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 764वी बैठक दिनांक 29.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 611वी बैठक दिनांक 14.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 100 मीटर पर नहर होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि प्रस्तावित खदान के उत्तर दिशा में 100 मीटर पर नहर होने के कारण उपरोक्त न्यूनतम दूरी के तय मापदण्ड के दृष्टिगत न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध होना परिलक्षित है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्रकरण में **SEIAA** की 764वी बैठक दिनांक 29.12.2022 में लिये गये उपरोक्त निर्णय के सबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.12.2022 के माध्यम से प्रकरण में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव द्वारा दिनांक 10.01.2022 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध बताया गया कि प्रकरण कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 द्वारा नहर से 100 मीटर दूरी होने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है के संबंध में अनापत्ति पत्र प्रस्तुत कर एवं प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 में लिये गये निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुर्नविचार कर प्रकरण को Re-open किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

24. **प्रकरण क्र.** 8777/2021 **परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह आत्मज श्री महिपाल सिहं बघेल, निवासी एम.जी. रोड़, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50009 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.75 हेक्टेयर, खसरा 762, ग्राम अरनिया जागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 762वी बैठक दिनांक 27.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दोनो ओर पूर्व 24–25 मीटर व उत्तर दिशा में 12–40 मीटर पर पक्की सड़क तथा उत्तर दिशा में 85 मीटर पर आबादी परिलक्षित हो रही है एवं खदान भी पहाड़ पर है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

माननीय एनजीटी एवं सीपीसीबी दिशा निर्देशों के उक्त निर्धारित दूरी 200 मीटर के मादण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए तथा न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से प्रकरण में **SEIAA** की 762वी बैठक दिनांक 27.12.2022 में प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के सबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण के साथ प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पुनः विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गाँव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने से ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालको द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इन अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि मेरे प्रकरण को एक बार पुनः अवलोकन परीक्षण हेतु रखा जाए एवं मुझे सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक मौका दिया जाये जिससे मैं अपनी बात महोदय समिति के समक्ष रख सकूं।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अंशुल यादव के साथ दिनांक 10.01.2023 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध बताया गया कि प्रकरण में खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है, उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गाँव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने से ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालको द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इन अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जाएगा एवं प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण की 762वी बैठक दिनांक 27.12.2022 में लिये गये निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुर्नविचार कर प्रकरण को **Re-open** किया जाता है एवं परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **SEAC** को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

C. नीतिगत निर्णय

1. **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल (CZ) के ओ.ए. क्र. 38/2022 में (Ajit Kumar V/s State of Madhya Pradesh & Ors.) जारी आदेश दिनांक 17.10.2022 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2022 के परिपालन बावत्।**

   राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 764वी बैठक दिनांक 29.12.2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा **प्राधिकरण के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उनके कार्यालीन पत्र क. 342 दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से** महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त विधिक परामर्श के आधार पर प्राधिकरण की **757वी बैठक दिनांक 18.11.2022 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल (CZ) के ओ.ए. क्र. 38/2022 में (Ajit Kumar v/s State of Madhya Pradesh & Ors.) जारी आदेश दिनांक 17.10.2022 के पैरा 47 (ii) के परिपालन में निर्णित कार्यवाही को एवं इस निर्णित कार्यवाही के परिपालन में देवास, हरदा, रायसेन एवं सीहोर जिले की रेत खदानों के प्रकरणों जिनमें कि पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.03.2021 एवं 31.03.2022 को** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की Sustainable Sand Mining Guideline 2016 के पृष्ठ क्र. 51 के पैरा–II (d) के **अनुसार समाप्त हो गई थी, को Close किये जाने के निर्णय एवं निर्णय अनुसार पत्र दिनांक 07.12.2022 की कार्यवाही को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2022 के परिपालन में स्थगित रखे जाने प्राधिकरण द्वारा पुर्नविचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।**

प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2022 एवं महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अभिमत को संज्ञान में लेते हुए

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 757वी बैठक दिनांक 18.11.2022 में नीतिगत निर्णय बिन्दु C-1 के अनुक्रम में जारी पत्र दिनांक 07.12.2022 को स्थगित किया जाता है।

उक्त कार्यवाही से प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज संसाधन विभाग, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, कार्यपालन संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

2 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

3 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

4 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

5 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

6 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

7 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

8 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

9 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

10 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

11 माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

12 परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14 परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17 यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18 खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

2 अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

3 परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

2 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

3 परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

4 परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

5 परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।

6 परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

7 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।

8 परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

9 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

10 परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

14 खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

15 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

17 परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

19 परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

20 यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

21 खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष